CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Insert of new article 174A*)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, म संविधान की धारा 174 (क) में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश करने की इजाजत चाहता हूं ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to intro- a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री नाथ पाई : मैं इस विधेयक को पेश करता हूं ।

FILM INDUSTRY WORKERS BILL*

श्री स०चं० सामन्त (तामलुक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र उद्योग में श्रमिकों की मजूरी निर्धारित करने तथा उन के काम की दशा में सुधार करने के लिये प्राधिकरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दो जाये ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide machinery for fixation of wages and for improvement of working conditions of workers in the Film Industry."

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : म चलचित्र उद्योग श्रमिक विधेयक पेश करता हूं ।

17.40 hrs.

HINDU SUCCESSION ACT†

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत करोड़ों इस देश में देहातों में रहने वाले किसानों की जो शिकायत है उस की तरफ सरकार की तवज्जह सींचना चाहता हूं ।

शुमाली हिन्दुस्तान में खास कर और आमतौर पर सारे ही देश में जो दिक्कत जमीन वाले किसानों को महसूस होती है और जो विरासत एक्ट है जिसे कि हिन्दू सेक्शन एक्ट बोलते हैं इस मे सैक्शन 8 की बदौलत जो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के करोड़ों किसानों को और देहात वालों को तकलीफ होती है वह में आप की मार्फत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं ।

बात यह है कि इस इलाके में सैकड़ों साल से नहीं हजारों साल से एक रिवाज चला आता है और वह रिवाज एक रस्म की शक्ल अख्त्यार कर गया है, एक ऐसे कस्टम की शक्ल अख्त्यार कर गया है कि लोग उसे आम तौर पर समाजी और मजहबी रूप देने लग गये हैं । जहां तक हमारी शादियों का ताल्लुक है जहां तक हमारे त्योहारों का ताल्लुक है, जहां तक हमारी बोलचाल का ताल्लुक है जहां तक हमारे रहन सहन का ताल्लुक है वह अलग अलग है । शुमाली हिन्दुस्तान के और खास तौर पर इस इलाके के जिनको कि वह तकलीफ है और वह मैं आप को पेश करता हूं कि वह न सिर्फ देहात की तकलीफ है बल्कि शहर को भी तकलीफ है और वह यह है कि जब लड़की हमारे यहां जवान होती है 12 साल की 13 साल की तो हम उस की शादी करते हैं और शादी भी ऐसी जगह करते हैं जहां उस लड़की का गोत्र

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 16-2-68.

†Half-An-Hour Discussion.